अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से संबंधित है ।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा, यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है ।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है । लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व, रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तरों के अनुसार होने चाहिये । लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे सुशासन में भागीदार बनायेंगे ।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों, अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है । इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में 'प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है । अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल हैं ।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 50 विभाग, 174 स्वायत्तशाषी निकाय एवं 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार[1] (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गई है ।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 1** में दी गई हैं ।

[1] दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम 'प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)' को बदलकर 'महालेखाकर (लेखापरीक्षा-I)' किया गया है ।

तालिका 1: व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	39,203	43,450	54,364
सामाजिक सेवायें	49,371	53,064	65,687
आर्थिक सेवायें	38,565	49,327	46,722
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-*	-**	-***
योग	**1,27,139**	**1,45,841**	**1,66,773**
पूंजीगत एवं अन्य व्यय			
पूंजीगत परिव्यय	16,980	20,623	19,638
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113
लोक ऋण की अदायगी	5,015	11,674	16,915
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,48,885	1,47,088	1,60,570
योग	**1,83,845**	**1,80,719**	**1,98,236**
कुल योग	**3,10,984**	**3,26,560**	**3,65,009**

स्रोत: राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* ₹ 6 लाख मात्र ** ₹ 11 लाख मात्र, *** ₹ 9 लाख मात्र ।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है । विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं ।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशाषी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है । वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाईयों की वित्तीय, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई ।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजना/ परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है । जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है । इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं ।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन, जारी किये जाते हैं। इकाईयों/विभागों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है । जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है । इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है ।

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 20,733 इकाईयों में से 1,607 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई । आगे, वर्ष 2018-19 के दौरान, 10,638 लेखापरीक्षा दल दिवस उपयोजित किये गये (वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु)। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी ।

1.5 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया । इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया है ।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जो कार्यक्रमों की कार्यपद्धति/विभागों की गतिविधियों की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित करते है । महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, की चर्चा नीचे की गई हैः

1.5.1 विभागों के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में 'प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है । निष्पादन लेखापरीक्षा के संक्षिप्त सार की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गई हैः

1.5.1.1 प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आवासहीन परिवारों, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओ के साथ वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी । 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021-22 तक निर्माण किए जाने वाले आवासों का कुल लक्ष्य 2.95 करोड़ था । तत्काल उद्देश्य, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना था, जिसमें से राजस्थान राज्य के लिए 6.87 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया था । योजना के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अन्य योजनाओं के साथ इसके बाहरी अभिसरण का आंकलन करने के लिये एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई । लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा ***अनुच्छेद 2.1*** में की गई है ।

यह पाया गया कि लाभार्थियों की पहचान में कमियों के कारण, 40.57 लाख में से केवल 16.99 लाख लाभार्थियों की पहचान समय से की गई थी । इस प्रकार, योजना केवल 41.88 प्रतिशत वांछित लाभार्थियों को दी गई जिन्हें योजना के कई लाभों से वंचित रखा गया तथा 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण की अनदेखी की गई । निर्मित आवासों के उपयोग की नमूना जांच में पाया गया कि 31.02 प्रतिशत निर्मित आवास खाली रह गए । इसके अलावा, विशेष रूप से, सामाजिक-आर्थिक रूप से 'भूमिहीन' एवं 'दिव्यांग व्यक्तियों' की श्रेणियों से सम्बंधित लाभार्थियों को योजना का लाभ निर्धारित सीमा तक नहीं दिया जा सका । अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के क्षेत्र में कमियां पायी गईं एवं निर्धारित मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन आदि को पूर्ण आवासों में उपलब्ध नहीं किया जा सका । विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण और निरीक्षण की कमी के कारण क्रियान्वयन में इन कमियों का पता लगाने में विफलता हुई । यद्यपि, योजना के अंतर्गत आवासों का बुनियादी निर्माण काफी हद तक सफल रहा क्योंकि लक्षित आवासों में से 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुके थे । लेखापरीक्षा में पायी गई कमियों के आधार पर योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है ।

(अनुच्छेद 2.1)

1.5.2 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया । अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय III में प्रतिवेदित किये गये हैं । प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित हैः

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्य पूर्णता के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नव निर्मित संग्रहालय भवन को उपयोग में ना लेने के कारण इस भवन के निर्माण पर ₹ 99.97 लाख का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 3.1)

भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता/असृजन के कारण विभाग द्वारा "बाजार हस्तक्षेप योजना" के अंतर्गत खरीदे गए लहसुन को अत्यंत सस्ते दामों पर बेचने की सहकारिता विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 231.77 करोड़ की हानि हुई ।

(अनुच्छेद 3.2)

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 1.47 करोड़ का अधिक/कम/अनियमित भुगतान ।

(अनुच्छेद 3.3)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं बारां द्वारा पहल तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी बारां में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी विद्यालय भवन के निर्माण के अभाव के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के मूल प्रयोजन का विफल होना ।

(अनुच्छेद 3.4)

चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकता का अनुचित मूल्यांकन और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सात वर्षों के व्यतीत होने तथा ₹ 3.89 करोड़ का व्यय होने के पश्चात भी पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण नहीं होना, इसके साथ-साथ केन्द्रीय अनुदान की बकाया किश्त की राशि ₹ 3.36 करोड़ को प्राप्त करने में विफलता ।

(अनुच्छेद 3.5)

चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा के संवेदक से दोनों अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी के कारण फ्लाई ओवर के कार्य के लिए प्रदान की गई भूमि के किराये की राशि ₹ 23.33 करोड़ की वसूली का अभाव ।

(अनुच्छेद 3.6)

जन लेखा समिति को आश्वासन देने के बावजूद, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अनुसंधान अस्पताल 11 वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 19.30 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहा, इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा ।

(अनुच्छेद 3.7)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आठ खण्डों में डक्टाइल आयरन पाईपो की मूल्य वृद्धि की गणना, स्टील घटक के लिए गलत मद के सूचकांक के आधार पर करने के कारण संवेदकों को ₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

(अनुच्छेद 3.8)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, अधूरे कार्य को आगामी टाइम स्पान में पूर्ण नहीं करने पर गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य करने से संवेदकों को मूल्य वृद्धि का राशि ₹ 16.24 करोड़ का अधिक भुगतान ।

(अनुच्छेद 3.9)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाइपों की विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित अनुबंध की विशेष शर्त की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 10.09 करोड़ का अदेय लाभ ।

(अनुच्छेद 3.10)

स्थानीय निकायों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम में यथानिर्धारित परियोजनाओं के अनुमोदन के समय निर्माणकर्ताओं से ₹ 7.05 करोड़ के श्रम उपकर का संग्रहण नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 3.11)

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालना प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है । यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। तद्नुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया ।

अध्याय II के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अध्याय III में लिये गए 11 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सभी सम्मिलित विभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है तथा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर ली गई है ।

1.7 लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर का अभाव

परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327 (1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरुप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका । 31 मार्च 2019 को वर्ष 1994-95 से 2018-19 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2018 तक) जारी 7,572 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 28,985 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या तालिका 2 में दर्शायी गई है ।

तालिका 2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2011-12 तक	2,906	7,553
2012-13	682	2,454
2013-14	941	3,252
2014-15	916	3,330
2015-16	763	3,290
2016-17	739	4,348
2017-18	386	2,893
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	239	1,865
योग	**7,572**	**28,985**

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969) । इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों की प्रतिक्रियाओं के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिये उन तीन विभागों का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिन्हे निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे । आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (196 निरीक्षण प्रतिवेदन), तकनीकी शिक्षा विभाग (63 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग (544 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न ईकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण मे ज्ञात हुआ कि 803 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबधित 2,753 अनुच्छेद 31 मार्च 2019 को बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओ का श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है ।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि 31 मई 2020 को संबंधित विभागों से दो एटीएन[2] लम्बित थे ।

[2] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2017-18 के अनुच्छेद 3.2 तथा 3.4 ।